दिनांक–18.05.2020 को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून, की अध्यक्षता में आहूत चालक संघ की ग्रीवान्स का कार्यवृत्त ।

ग्रीवान्स में निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

1. श्री अशोक कुमार, मुख्य अभियन्ता (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. श्री अनिरुद्व सिंह भण्डारी, वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. श्री प्रमोद कुमार पाठक, अधीक्षण अभियन्ता, 11 वॉ वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. श्री जीवन चन्द्र पन्तोला, अधिशासी अभियन्ता (अधि0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,देहरादून।
5. श्री योगम्बर सिंह रावत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
6. श्री पूरण सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. श्री आनन्द सिंह मनराल, प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
8. श्री अनन्तराम शर्मा, प्रान्तीय अध्यक्ष, राजकीय वाहन चालक संघ, उत्तराखण्ड एवं अन्य पदाधिकारीगण।

ग्रीवान्स से सम्बन्धित रा0वा0चा0संघ लो0नि0वि0 के पत्र सं0–मैमो/रा0वा0चा0सं0कोविड /आपदा/2020 दि0–13.05.2020 में 04 बिन्दुओं पर निस्तारण हेतु मांग की गयी थी। जिसके विरुद्व 04 से इस कार्यालय के कार्यावृत्त सं0–574/04का0प्र0–अधि0 /19 दि0–24.08.2019 में पिछली ग्रीवान्स बैठक में उठायें गये बिन्दुओं के निस्तारण के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में बिन्दुवार विवरण इस प्रकार है:–

क0सं0	बिन्दु	बिन्दुवार आख्या
1.	इलेक्ट्रीशियन/क्लीनर आदि कर्मचारियों को 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी ए0सी0 पी0 का लाभ सम्बन्धित खण्डों द्वारा नही दिया जा रहा है। सम्बन्धित खण्डों को निर्देशित करने का कष्ट करें।	बैठक के दौरान संघ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून में श्री मदन सिंह तोमर इलैक्ट्रीशियन के पद पर कार्यरत है। जिनका ए0सी0पी0 का प्रकरण खण्ड के माध्यम से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता स्तर से स्वीकृत होना है। इस संबंध में अधिशासी अभियन्ता को दूरभाष पर ग्रीवान्स बैठक के समय चयन–चार्ट बनाकर सक्षम स्तर से नियमानुसार ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने हेतु कहा गया तथा इस कार्यालय के पत्र सं0–622/04का0प्र0–अधि0/19 दिनांक–05.09.2019 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/ वि0/यॉ0 खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को ए0सी0पी0 स्वीकृत करने व ए0सी0पी0 के एरियर भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। वांछित आख्या प्राप्त न होने पर पुनः इस कार्यालय के पत्र सं0–18/04का0प्र0–अधि0 /20 दि0–15.05.2020 द्वारा अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, देहरादून को तदनुसार 02 दिन के भीतर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। **(कार्यवाही– अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0/अधीक्षण अभियन्ता, 9वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।)**
2.	अन्य कर्मचारियों की भांति मैकेनिक को फौरमैन के पद पर पदोन्नति नही दी जा रही है। जबकि पूरे प्रदेश में केवल एक मैकेनिक की पदोन्नति फौरमैन के पद पर की जानी है।	मैकेनिक को फौरमैन के पद पर पदोन्नति किये जाने हेतु प्रकरण दिशा निर्देश हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–4 /4का0प्र0–अधि0/20दिनांक–25.02.2020 द्वारा शासन को प्रेषित है परन्तु शासन से दिशा निर्देश अभी अपेक्षित है क्योंकि फोरमैन का पद मृत घोषित है, इस पर शासन स्तर से ही निर्णय होना है। अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉ वि0/यॉ0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून को उक्त संबंध में पदोन्नति प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये, ताकि प्रकरण शासन को भेजा जा सकें। **(कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉ वि0/यॉ0 वृत्त,लो0नि0वि0, देहरादून)**

3	वर्कचार्ज में कार्यरत क्लीनर की पदोन्नति वर्कचार्ज के चालक के पद पर क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा की जाती है। इस संबंध में मुख्यालय द्वारा पूर्व में आदेश जारी किये गये थे। परन्तु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा मुख्यालय द्वारा किये आदेशों का अनुपालन नही किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में मात्र एक प्रकरण पदोन्नति हेतु लम्बित है।	वर्कचार्ज में कार्यरत क्लीनर की पदोन्नति वर्कचार्ज के चालक के पद पर किये जाने हेतु वर्तमान में कोई शासनादेश उपलब्ध नहीं है। संगठन द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी प्रमुख अभियन्ता के द्वारा ऐसे पदों के सापेक्ष पदोन्नति की गई है। इस संबंध में कार्यप्रभारित वर्ग को प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिये गये । **(कार्यवाही– कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय)**
4	पूर्व में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों जैसे मेट/वर्कएजेन्ट/सूपरवाईजर/ फोरमैन इलैक्ट्रीशियन आदि को वाहन भत्ता दिया गया है। उनमें से कुछ कार्मिकों की रिकवरी की जा रही है। जबकि मुख्यालय द्वारा स्पष्ट आदेश जारी है कि जब तक शासन से स्पष्ट आदेश नही आ जाते तब तक किसी कर्मचारी की रिकवरी न की जाय। उक्त आदेशों के बावजूद श्री हरीश भगत, फौरमैन , हल्द्वानी की रिकवरी की गयी है।	पूर्व में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों जैसे मेट/ वर्कएजेन्ट /सुपरवाईजर /फोरमैन /चालक/इलैक्ट्रीशिन आदि को वाहन भत्ता दिये जाने के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–426/05 का0प्र0–अधि0/ 2018 दिनांक–24.07.2018 द्वारा दिशा निर्देश हेतु प्रकरण शासन को सन्दर्भित है। शासन स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने पर कार्यवाही सम्भव होगी। इस हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय के सम्बन्धित वर्ग द्वारा शासन को अनुस्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। **(कार्यवाही– कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय)**
5	पात्र क्लीनरों/समूह 'घ' के कार्मिकों की पदोन्नति वाहन चालक के पद पर की जाय।	पात्र क्लीनरों/समूह 'घ' के कार्मिकों की पदोन्नति वाहन चालक के पद पर किये जाने हेतु अधीक्षण अभियन्ता 11वॉं वि0/यॉं0 वृत्त लो0नि0वि0,देहरादून से अद्यतन चयन चार्ट दिनॉक 05.06.2020 तक मॉंगे जाये तथा दिनांक 12.06.2020 तक चयन समिति की बैठक कर ली जाय । **(कार्यवाही– कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय /अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉं वि0/यॉं0, वृत्त,लो0नि0वि0, देहरादून।)**
6	मुख्यालय कार्यालय के बेसमैन्ट में वाहन चालकों के बैठने के रूम में जनरेटर /पैनल लगाये गये है। उक्त रूम में पार्टीसन दीवार लगवाने के आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।	प्रकरण निस्तारित हो चुका है।
7	रू0 2000 ग्रेड वेतन वाले कार्मिकों की नियमितीकरण/पदोन्नति मुख्यालय स्तर पर की जाती है। परन्तु रू0 2400 ग्रेड वेतन वाले कार्मिक इलैक्ट्रीशियन का नियमितीकरण क्षेत्रीय स्तर पर किया जा रहा है। कृपया उक्त प्रकरण पर विचार करना चाहे।	इलैक्ट्रीशियन की अन्तिम एकल ज्येष्ठता सूची प्रदेश स्तर पर तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉं वि0/यॉं0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा दिनांक 15.06.2020 तक जारी की जाय। **(कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉं वि0/यॉं0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून)**
8	शासन द्वारा कुछ कार्मिकों के पद मृत घोषित कर दिये गये है। उक्त कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ नही दिया जा रहा है। मृत घोषित पदों के कार्मिकों को पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाना है या नही, स्पष्ट आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।	ऐसे पदों के सापेक्ष पात्र कार्मिकों के पदोन्नति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाये ताकि प्रकरण शासन को भेजा जा सके। **(कार्यवाही– अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉं वि0/यॉं0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून)**

9	कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस को पैसा (वर्ष 2003–04–05) दिया गया था, जो कि उनके वेतन से रिकवरी कर ली गयी परन्तु उक्त पैसे का ब्याज नही काटा गया है। जिस कारण कर्मचारियों को पेंशन आदि का लाभ लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है। ऐसे कर्मचारियों से ब्याज का पैसा काटने के संबंधित को आदेश निर्गत करने का कष्ट करें।	विभागाध्यक्ष कार्यालय के पत्र संख्या 621/04 का0प्र0–अधि0/2019 दिनांक–05.09.2019 एवं पत्र सं0 – 188/04 का0प्र0– अधि0 /20दिनांक–14.05.2020द्वारा समय से कार्यवाही किये जाने हेतु समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता /अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में अनुपालन आख्या उक्त समस्त कार्यालयों से प्राप्त कर शीघ्रताशीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु विभागाध्यक्ष कार्यालय के सम्बन्धित वर्ग द्वारा अनुस्मरण कराया जाय। **(कार्यवाही– कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय)**
10	श्री नसीम अहमद, हैवी ऑपरेटर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण विभाग, लो0नि0वि0,काशीपुर की पदोन्नति किये जाने के संबंध में।	बैठक में चर्चा के दौरान अधीक्षण अभियन्ता, 11वॉं वि0/यॉं0 वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया है कि हैवी ऑपरेटर का पद विभाग में सृजित नही है। श्री नसीम अहमद, हैवी ऑपरेटर काफी समय से वर्कचार्ज में कार्यरत है। पद सृजित न होने के कारण इनकी नियमितीकरण /पदोन्नति की कार्यवाही सम्भव नही हो पा रही है। संगठन द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में भी प्रमुख अभियन्ता के द्वारा ऐसे पदों के सापेक्ष पदोन्नति/नियमितीकरण की गई है। इस संबंध में कार्यप्रभारित वर्ग को प्रकरण का पुनः परीक्षण करने के निर्देश दिये गये **(कार्यवाही– कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय))**

चालक संघ के पत्र सं0– मैमो/रा0वा0चा0सं0कोविड /आपदा/2020 दि0–13.05.2020 में वर्णित बिन्दु सं0–01 से 04 पर की गयी समीक्षा बैठक का विवरण निम्नवत् है:–

01	क्लीनरों की पदोन्नति वाहन चालक के पद पर की जाय।	उपरोक्त बिन्दु सं0– 05 के अनुसार।
02	इलेक्ट्रीशियन का नियमितीकरण शीघ्र किया जाय।	विनियमितीकरण नियमावली, 2013 पर मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल से स्थगन आदेश प्राप्त हैं। स्थगन आदेश समाप्त होने के पश्चात ही विनियमितीकरण की कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।
03	सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों को वर्कचार्ज की सेवा का लाभ दिया जाय।	लोक निर्माण विभाग के अधीन कार्यरत /सेवारत / सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों को वर्कचार्ज की सेवा को जोड़कर पेंशन/ग्रेच्युटी का लाभ दिये जाने हेतु प्रकरण गतिमान है। **(कार्यवाही– कार्यप्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय)**
04	पत्रांक 574/04का0प्र0–अधि0/19 दि0–03.08.2019 का अनुपालन कढ़ाई से कराया जाय एवं मुख्यालय के आदेशों का अनुपालन न करने वालो कर स्पष्टीकरण मांगा जाय।	उपरोक्त तालिका के बिन्दु सं0–01 से 10 के अनुसार।

(हरिओम शर्मा)
प्रभारी प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

क्रमशः पेज–2पर

पत्रांकः– 199 /04का0प्र0–अधि0 / 20 दिनांक – 22 / 05 / 2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय / रा0मा0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / ए0डी0बी0,लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा / पौड़ी / देहरादून / हल्द्वानी / पिथौरागढ़ / टिहरी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 5 / 11वॉं वि0 / यॉं0 वृत्त, लो0नि0वि0, हल्द्वानी / देहरादून ।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, —————— वॉं वृत्त , लो0नि0वि0, ——————।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता ——————, लो0नि0वि0, ————————।
5. श्री अनन्तराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, राजकीय वाहन चालक संघ, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून ।

ह0 22/5/2020

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष